न्यायालय उपजिलाधिकारी सलेमपुर जनपद देवरिया

वाद संख्या 18

ऊँ श्री साई कृपा महाविद्यालय कुण्डौली	अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधिनियम
बनाम	मौजा कुण्डौली तप्पा बलिया परगना सलेमपुर
गांवसभा कुण्डौली	सलेमपुर मझौली तहसील सलेमपुर जिला देवरिया

आदेश

पेश पुकार कराई गई वादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित अन्य कोई उपस्थित नही है। वादी राजीव कुमार सिंह प्रबन्धक ऊँ श्री साई कृपा महा विद्यालय कुण्डौली के तरफ से आदेश दिनांक 19.05.2012 में आंशिक संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र इस आशय से दिया गया है कि मौजा कुण्डौली तथा बलिया के खतौनी वर्ष 1423–1428 के खाता संख्या 598 आवादी के खाते से पृथक कर गाटा संख्या 861/0.821 हे0 को ऊँ श्री साइग कृपा महा विद्यालय कुण्डौली लार प्रबन्धक राजीव कुमार सिंह के पक्ष में नया खाता सृजित करते हुए अकृषिक भूमि घोषित किया जावे।

मैने वादी के पक्ष को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि आदेश दिनांक 19.05.2012 पारित करते समय त्रुटि वश विवादित भूखण्ड आवादी वर्ग 6 (2) मे व्यवस्थित कर दिया गया।

पत्र प्रतिवादी प्रतिवाद के अभाव में संशोधन प्रार्थना पत्र दिनांक 09.08.2016 स्वीकार किया जाता है तथा पूर्व पारित आदेश दिनांक 19.05.2012 में आंशिक संशोधन करते हुए आदेश दिया जाता है कि मौजा कुण्डौली तप्पा बलिया के गाटा संख्या 861 रकवा .821 हे0 को आवादी के खाता संख्या 598 खतौनी सन, 1423–1428 फसली से पृथक कर नया खाता सृजित करते हुए वादी ऊँ श्री साई कृपा महा विधालय कुण्डौली जरिये राजीव कुमार सिंह (प्रबन्धक) के पक्ष में गैर कृषिक (अकृषिक) भूमि दर्ज किया जाय। तदनुसार संशोधन परवाना जारी हो बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक

(राजेश प्रसाद तिवारी)
उपजिलाधिकारी
सलेमपुर।

नाम साइल
नं॰ सवाल 181
दिनांक
कुल
शब्दों की संख्या 153
जारी का दिनांक
तारीख हवालगी
हस्ताक्षर

न्यायालय उप जिलाधिकारी सलेमपुर, देवरिया

CANCELED

प्रबन्धक
ऊँ श्री साँई कृपा महाविद्यालय
फ्लेट नं० 606 जेमिनी रेजिडेन्सी
मेडिकल कालेज रोड, बशारतपुर, गोरखपुर